191

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–भिण्ड

1– नारायण दास पुत्र श्री वैजनाथ,
हिम्मतसिंह पुत्र श्री वैजनाथ (मृत)
विधिक वारिसान –
क– पवन कौरव पुत्र स्व. हिम्मत सिंह

2– महिला विजय कुँवर पुत्री वैजनाथ पत्नी श्री रामशरण, निवासी खुर्द तहसील लहार, जिला भिण्ड म.प्र.

3– महिला रामश्री पुत्री वैजनाथ पत्नी श्री दयाराम, निवासी ग्राम आलमपुर, तहसील लहार, जिला भिण्ड म.प्र.

4– महिला कमला पुत्री श्री वैजनाथ पत्नी श्री सोबरन सिंह, निवासी – राखरा, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रामसेवक दत्तक पुत्र श्री पन्नालाल फौत
वारिसान :–

1– श्रीमती अवधरानी पत्नी स्व. रामसेवक कौरव

2– उमरावसिंह पुत्र स्व. श्री रामसेवक,

3– सज्जनसिंह पुत्र स्व. श्री रामसेवक,

4– बलबहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री रामसेवक,

5– बेदेहीशरण पुत्र स्व. श्री रामसेवक,

6– मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री रामसेवक,

7– श्रीमती मिथिलादेवी पुत्री स्व. रामसेवक पत्नी श्री लल्लूसिंह कौरव

8– राजेश्वरी देवी पुत्री स्व. श्री रामसवेक पत्नी करनसिंह,
निवासीगण ग्राम बिडरा, तहसील लहार जिला भिण्ड म.प्र.
हाल निवासी नागरस का बाडा, शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर म0प्र0

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1445-तीन/2003 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक Review - 1679-I/16 जिला - दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा0आदि के हस्ताक्षर
17-8-2016	न्यायालय के प्रकरण कमांक 1445-तीन/2003 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 6-4-2016 के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने तथा विचार किया गया। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने आदेश दिनॉक 6-4-2016 के पुनरावलोकन हेतु जो आधार बताये हैं उनके कम में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में विहित प्रावधानों का अवलोकन किया गया। संहिता की धारा 51 के प्रावधानानुसार निम्न तीन आधारों पर पुनरावलोकन में विचार करना संभव है :- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण विषय वस्तु या साक्ष्य की खोज होने से जो उचित परिश्रम करने केवाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी जिस पर आदेश/डिकी पारित हुई, 2. किसी ऐसी भ्रॉति पूर्ण गल्ती Mistake या भूल error। रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हो, 3. किसी अन्य पर्याप्त कारण से - विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में अथवा प्रारंभिक तर्को में आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं कि किन कारणों से प्रकरण कमांक 1445-तीन/2003 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 6-4-2016 का पुनरावलोकन करना लाजमी है। अत: पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	